आठवीं पंच-वर्षीय योजना के दौरान मकानों की आवश्यकता को पूरा करने की स्कीम को समग्र आठवीं योजना के भाग के रूप में अन्तिम रूप दिया जाएगा।

Allotment of land to Housing Society of M.Ps.

206. SHRI SHANKAR DAYAL SINGH. Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether there is any Housing Cooperative Society for sitting and former Members of Parliament and whether the said society has been allotted any land; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Rackets in D.D.A.

207. SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 707 given in the Rajya Sabha on the 6th September, 1991 and state what progress has so far been made in the investigations into the corruption charges against DDA?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): The allegations are still under investigation.

Vijayanagar Steel Plant

208. SHRI B. K. HARIPRASAD: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) whether Vijayanagar Steel Plant project has been pending implementation for nearly 2 decades; if so, the reasons therefor;

(b) whether it is a fact that iron ore of very high quality is available in the area and is being exported regularly; and

(c) whether it is Government's policy to switch over to export of value-added commodities and if so, whether this principle would also be applied to Vijayanagar Steel Plant?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL (SHRI SONTOSH MOHAN DEV): (a) It has not been possible to implement the Steel Plant Project at Vijayanagar due to resource constraints.

(b) Yes, Sir.

(c) While export of value added commodities is always preferred, implementation of the steel plant at Vijayanagar would depend upon availability of resources.

209. [Transferred to 28th November 1991].

Construction of New Bridges on Yamuna

210. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a few new bridges are contemplated to be constructed on Yamuna in Delhi with a view to minimise the terrible traffic congestion and reduce the distance between South Delhi and Ghaziabad;

(b) if so, what are the details of the project; and

(c) by when the work is likely to be undertaken?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) to c) There are proposals to construct 3 more bridges cross the river Yamuna parallel to the existing bridges at ITO, Wazirabad and Nizamuddin by the Delhi Administration. In addition feasibility for construction of one more bridge linking NOIDA with South Delhi near Maharani Bagh is being studied.

The proposal to construct a new bridge at ITO is awaiting Cabinet approval and formal expenditure sanction. The construction work will start within 4 months from the date of the sanction.

The other bridges are at planning stage and no time frame can be indicated.

उत्तर प्रदेश में भूकम्प

211. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :**
श्रीमती कमला सिन्हा :
डा० बापू कालिदास :
श्री चतुरानन मिश्र :
डा. जैड ए. अहमद :
श्री बी. नारायणसामी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरकाशी तथा उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में हाल ही में आए भूकम्प का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस भूकम्प में जान और माल की कितनी हानि हुई और घायल होने वाले लोगों की संख्या कितनी है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए राहत उपायों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) 20 अक्टूबर, 1991 को बहुत तड़के ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में एक भूकम्प आया जिसका परिमाण रिक्टर स्केल पर 6.6 तथा केन्द्र 30.75° उत्तरी अक्षांश और 78.86° पूर्वी देशान्तर पर था ।

(ख) इस भूकम्प से उत्तर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हानि हुई । हिमाचल प्रदेश सरकार से भी कुछ हानि की सूचना मिली है । पंजाब, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर राज्यों और दिल्ली संघ शासित क्षेत्र से जहां पर इस भूकम्प के आघात महसूस किये गए किसी भी हानि की सूचना नहीं मिली है । उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की सरकारों द्वारा सूचित की गई हानियों का ब्यौरा अनुबन्ध में दे दिया गया है। [देखिए परिशिष्ट 161, अनुपत्र संख्या 4]

(ग) भूकम्प सहित प्राकृतिक आपदाओं से राहत पहुंचाने वाले कार्यों का निष्पादन प्रथमतः राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है । प्रत्येक राज्य के लिए एक आवंटित धनराशि से एक आपदा राहत कोष का गठन किया गया है जिसमें 75% का योगदान केन्द्र सरकार द्वारा गैर योजना अनुदान के रूप चार त्रैमासिक किस्तों में दिया जाता है और शेष 25% राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है। अब तक 1991–92 के लिए आपदा राहत कोष के केन्द्रीय अंशदान की पहली तीन किस्तें सभी राज्यों के लिये निर्मुक्त की जा चुकी हैं ।

आपदा राहत कोष के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के लिए किया जाने वाला वार्षिक आवंटन 90.00 करोड़ रुपये है जिसमें 67.50 करोड़ रुपये केन्द्र का और 22.50 करोड़ रुपए राज्य का अंशदान होता है । हाल के भूकम्प द्वारा हुई हानि को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए आपदा राहत कोष के केन्द्रीय हिस्से के रूप में 16.87 करोड़ रुपए की धन राशि की चौथी किस्त 24.10.1991 को ही अग्रिम तौर पर जारी कर दी, जिसे सामान्य तौर पर जनवरी, 1992 में जारी किया जाना था ।

इस भूकम्प के कारण केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य को दी गयी सहायता का ब्यौरा अनुबन्ध में दिया गया है। [देखिए परिशिष्ट 161, अनुपत्र संख्या 5]